रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library 21 NOV 1974 Govt. of India

सं० 276] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 1974/कार्तिक 21, 1896

No. 276] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 1974/KARTIKA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th November, 1974

SUBJECT.—*Import of Fruits, dried, salted or preserved all sorts, NOS excluding Dates (S. No. 21(a)(ii)/IV), (ii) Dates (S. No. 21(b)/IV), (iii) Medicinal Herbs (Crude Drugs) (S. No. 87-109/IV), (iv) Asafoetida (S. No. 31(b)/V) and other Miscellaneous items from Iran during November, 1974—October, 1975.*

No. 172-ITC(PN)/74.—It has been decided to grant licences for import of various commodities from Iran during November, 1974—October, 1975, to the Established Importers, having past imports within the prescribed basic years, as shown against each item in Annexure I to this Public Notice. The licensing policy for each item has been indicated in Col. 6 of the aforesaid Annexure.

2. The Established Importers, eligible in terms of the current policy, may submit their applications to the respective licensing authority *viz.* Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay or Jt. Chief Controller of Imports & Exports (Central Licensing Area) New Delhi on or before the 13th December, 1974 in the usual form and manner. No past import documents are required to be produced, provided such decuments were submitted to the licensing authority concerned in the past and were acceped by them for issue of licences for import of commodities from Iran indicated in Annexure I. They should, however, quote details of licences obtained in the preceeding two periods. Where, however, the Established Importers are applying for the first time, they are required to produce unimpeachable documents relating to past imports from Iran in respect of the items as in Annexure I for any one year within the prescribed basic years.

3. It has also been decided that the importers, who are eligible in terms of Annexure II to this Public Notice will also be granted licences for import of Dry Fruits only from Iran on equal value basis. They may sumbit their applications for import of Dry Fruits only from Iran for November 1974—October 1975 licensing period to the Jt. Chief Controller of Imports and Exports (Central Licensing Area) New Delhi on or before the 13th December, 1974 in the usual form and manner, complete in all respects.

4. The minimum value of licences for dry fruits will be Rs. 6000/-. The minimum value of licences for Dates, Asafoetida and Gums & Resins, licensable on quota percentage basis, will be Rs. 1000/- for the year. It is, however, clarified that in the case of transfer/division of quota by Established Importers relating to above cases, the succeeding parties will be entitled to get licences in proportion to their share in approved quota of the original firm as provided in Para 45(2) of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1974-75. Where the licences are issued on equal value basis in terms of this Public Notice, the entitlement of each party is to be divided proportionately among the split up concerns of the parent firm, in case of transfer/division of quota rights.

5. It may be noted that no double benefit will be given in respect of Dry Fruits, which is permitted for import both under Annexure I and Annexure II. The applicants for dry fruits should submit only one application either in terms of Annexure I or in terms of Annexure II; and they should clearly mention in their application that they have applied in one capacity only and not under both.

6. Established Importers, holding quota certificates for Crude Drugs on General Currency Area, which includes Iran, who are desirous of claiming licences under this policy have to have past imports of Crude Drugs from Iran in a different basic year than the one for which they hold quota certificates on General Currency Area. Evidence to this effect should be produced to the licensing authority, so that no double benefit accrues in respect of the same past Imports.

7. Licensing will be done within the monetary limit fixed for each item. All incomplete applications are liable to be rejected.

8. Import licences granted in eligible cases will be valid for import from Iran either by Sailing Vessels or Land route. In the case of Dry Fruits, import will also be allowed by Steamships upto the full face value of the licence and such imports will be on c.i.f. basis. In the case of DATES import should be effected by Sailing Vessels or Land route upto 60 per cent of the face value of the licences and the balance 40 per cent by other means *viz.*, Steamship; if the licensees so desire, at any time during the validity period of the licences.

9. Import licences issued in pursuance of this Public Notice will be valid for 12 months and will not be extended.

10. The provisions of Paragraph 113(1) and 113(2) of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Vol. I) for the period April 1974—March 1975, relating to minimum and maximum value of licences will not apply to the licences issued in terms of this Public Notice.

ANNEXURE I

No. & Part of the ITC Schedule.	Description.	Licensing Authority.	Validity of licences.	Basis of eligibility	Licensing Policy
1	2	3	4	5	6
(i) 21(a)(ii)/IV	Dry. Fruits.	Jt. CCI&E. (CLA), New Delhi & Jt. CCI&E, Bombay.	Twelve months	Applications from established importers having past imports of dry fruits from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	22% of best year imports during the basic period subject to a minimum of Rs. 6000/
(ii) 21(b)/IV	Dates	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of dates from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	100% of best year's imports during the basic period.
(iii) 34-37(d)/V.	Red Oxide.	Do.	Do.	Applications from established importers having past importers of Red Oxide from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	On equal Value basis.
(iv) 31(b)/V.	Asafoetida	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Asafoetida from Iran within the period 1951-52 to 1970-71 will be considered.	100% of best year' imports during the basic period. *Note.—Importers of Asafoetida from Iran are required to ensure that the product conforms to the prescribed standards under the prevention of Food Adulteration Rules.*
(v) 87-109/IV	Medicinal Herbs, Crude Drugs listed in Annexure I & II of Appendix 19 to the Red Book for April, 1974-March, 1975.	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Crude Drugs from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	On equal value basis.
(vi) 7/V	Gums, Resins and Lac all sorts, n.o.s. excluding olibanum and frankincense.	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of these items from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	45% of best year's imports during the basic period.

ANNEXURE II

S.No.& part of the ITC Schedule	Description	Licensing Authority	Validity of licences	Basis of eligibility	Licensing policy
1	2	3	4	5	6
ii)/IV	Dry fruits	Jt. C.C.I&E (GLA) New Delhi	Twelve months	*Ad-hoc* licences for import of dry fruits from Iran will be issued to:— (*i*) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from Afghanistan during the five years ended 30-6-57. (*ii*) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan, during the period from 1951-52 to 1970-71. (*iii*) Established Importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan during the period from 1945-46 to 1950-51 provided these imports had been accepted by the licensing authority from grant of *ad-hoc* licences for import of fresh fruits from Pakistan during 1960-to 64. (*iv*) Established importers who have imports of dry fruits to their credit from Pakistan during the period from 1951-52 to 1970-71. (*v*) Co-operative Societies dealing in fresh fruits, subject to the production of:— (*a*) a certificate from the concerned Registrar of Co-oprative Societies that the Co-operative Society is still in existence; (*b*) an affidavit in the proforma enclosed *vide* Annexure III;	on equal value basis

1	2	3	4	5	6
				(c) a certificate from a Chartered Accountant to the effect that the Society had a turn-over of not less than Rs. 15,000/- (Rs. Fifteen thousand) during any one of the financial years 1967-68, 1968-69 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in fresh fruits. If a certificate as referred to in sub-para (c) above had been produced in the past and it had been accepted by the licensing authority concerned for the issue of licences for import of dry fruits from Iran, it need not be produced again. Only reference to the earlier application with which such a certificate had been furnished should be made.	

ANNEXURE III

FORM OF AFFIDAVIT

Affidavit of Shri S/o., residing at Secretary/President of/ (Name and address of the Cooperative Society).

I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and declare that I am duly authorised to affirm this affidavit on behalf of /..... (name of Co-operative Soviety) and declare as under:—

(i) That the (Name and address of Cooperative Society) has been and is still dealing in fresh fruits.

(ii) That any licence granted to the aforesaid Cooperative Society on the basis of this declaration is liable to be cancelled without prejudice to any penalty that the Government may impose or any other action that may be taken under the Imports and Exports (Control) Act and Imports (Control) Order, 1955 as amended, in case it is found that the declaration as stated in para (i) above is incorrect or false.

Deponent.....

Verification

I, ... do hereby affirm and declare that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been cancelled.

Deponent.....

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या:

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 74

विषय:—नवम्बर, 1974 से अक्तूबर, 1975 के दौरान फलों, मेवे, नमकीन अथवा हर प्रकार के परिरक्षित खजूरों को छोड़कर अन्यथा जो उल्लिखित नहीं है [क्र० सं० 21 (ए) (2)/4], (2) खजूर क्रम संख्या 21 (बी)/4, (3) औषधीय बूटियां (अपरिष्कृत औषधियां) क्रम संख्या : 87–109–4, (4) हींग (क्र० सं० 31(बी)/5 तथा अन्य विविध मदों का ईरान से आयात।

सं० 172–आई० टी० सी० (पी०एन०)/74.—प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबंध–1 के लिये दिखाई गई मदों में से हर एक अलग मद के लिये नवम्बर, 1974 से अक्टूबर, 1975 की अवधि के लिये संस्थापित आयातकों को, जिन्होंने विहित आधार पर भूत वर्ष में आयात किया था, ईरान से विभिन्न पदार्थों के आयात के लिये लाइसेंस देने का निश्चय किया है। हर एक मद के लिये लाइसेंस देने की नीति वर्णित अनुबंध के कालम-6 में बताई गई है।

2. वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत पात्र संस्थापित आयोतकों को चाहिये कि वे अपना आवेदन पत्र संबंधित लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी अर्थात संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात बम्बई या संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली को विहित प्रपत्र में और विधिरूप से 13 दिसम्बर 1974 तक अथवा उससे पहले भेज दें। पिछले किये गये आयात से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उन दस्तावेजों को संबंध लाइसेंस प्राधिकारी को ईरान से पदार्थों के आयात लाइसेंसों के लिये, जिन पदार्थों का उल्लेख अनुबंध–1 में किया गया है, पहले भेजा गया था और वे मंजूर कर लिये गये थे। परन्तु उनके लिये यह आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्वगत दो अवधियों में जो लाइसेंस लिये थे, उनका ब्यौरा दें, परन्तु जहां संस्थापित आयातक पहली बार पत्र भेज रहे हैं, उन्हें चाहिए कि विहित आधार पर भूत वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में ईरान से आयात की गई मदों का, जिनका ब्यौरा अनुबंध–1 में दिया गया है, उससे संबंधित संशयातीत दस्तावेजों को प्रस्तुत करें।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे आयातक, जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबंध–2 के अन्तर्गत योग्य हैं, उन्हें केवल ईरान से समान मूल्य के आधार पर सूखे फलों के आयात के लिये लाइसेंस भी दिये जायेंगे। उन्हें चाहिए कि वे नवम्बर, 1974 से अक्तूबर, 1975 की लाईसेंस अवधि के लिये ईरान से केवल सूखे फलों के आयात के लिये आवेदन पत्रों को हर प्रकार से पूरा करके विहित प्रपत्र में और विधिरूप से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली को 13 दिसम्बर, 1974 को अथवा उससे पहले भेज दें।

4. सूखे फलों के लिये लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य 6,000 रुपये होगा। खजूर, हींग और गोंद तथा रेजिन्स जो कोटा प्रतिशतता के आधार पर लाइसेंस के योग्य हैं, उनके लिये 6 माम के लिये लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपये होगा। लेकिन, इस बात का स्पष्टीकरण किया जाता है कि उपर्युक्त

मामलों में संबंधित स्थापित आयातकों द्वारा कोटा के स्थानान्तरण/विभाजन की स्थिति में आयात व्यापार नियंत्रण नियम और कार्यविधि, हैंडबुक 1974–75 की कंडिका 45(2) में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अनुवर्ती पार्टियां मूल फर्म के स्वीकृत कोटे में से अपने हिस्से के अनुपात में लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जहां यागात मूल्य के आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं, कोटा अधिकारों के स्थानान्तरण/विभाजन होने की स्थिति में मूल फर्म से संबंधित विपाटी के भीतर हर एक पार्टी के हक का अनुपातिक रूप से आंवटन किया जाता है।

5. यह ध्यान रहे कि सूखे फल जो अनुबंध 1 तथा 2 दोनों के अर्न्तगत आयात के लिये अनुज्ञप्त है, इनके संबंध में दोनों प्रकार के लाभ नहीं दिये जायेंगे। सूखे फलों के आयात करने वाले आवेदकों को चाहिए कि वे या तो अनुबंध 1 की शर्तों के अनुसार अथवा अनुबंध 2 की शर्तों के अनुसार केवल एक ही आवेदन पत्र भेजें और उन्हें चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्रों में स्पष्ट रूप से लिख दें कि उन्होंने केवल एक के लिये आवेदन पत्र भेजा है न कि दोनों के लिये।

6. सामान्य मुद्रा क्षेत्र, जिसमें ईरान सम्मिलित है, से अपरिष्कृत भेषजों के लिये कोटाधारी संस्थापित आयातक जो इस नीति के अर्न्तगत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिये यह अनिवार्य है कि जिस वर्ग के लिये उनके पास सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिये कोटा प्रमाण पत्र है, उससे भिन्न किसी एक मूल वर्ष में, भूतकाल में उन्होंने ईरान से अपरिष्कृत भेषजों का आयात किया हो। इस संबंध में, लाइसेंस प्राधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि भूतकाल में किये गये ही प्रकार के आयातों के लिये दो तरफ लाभ उपार्जित न किया जाये।

7. हरेक मद को निश्चित मौद्रिक सीमा के भीतर ही लाइसेंस दिया जायगा। सभी अधूरे आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8. वैध मामलों में दिये जाने वाले आयात लाइसेंसों का ईरान से नौप्रस्थान पोतों अथवा स्थल मार्गों से आयात के लिये वैध माना जायगा। सूखे फलों के मामले में, लाइसेंसों के पूरे अंकित मूल्य तक पोतनाव द्वारा आयात करने की भी इजाजत होगी और ऐसे आयातों का आधार लागत बीमा-भाड़ा होगा। खजूरों के आयात के मामले में 60 प्रतिशत तक के लाइसेंस के अंकित मूल्य तक आयात नौप्रस्थान पोतों अथवा स्थल मार्गों द्वारा होना चाहिए और यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस की वैध अवधि के दौरान किसी भी समय आयात करने के इच्छुक हैं तो शेष 40 प्रतिशत दूसरे साधनों जैसे पोतनाव द्वारा कर सकते हैं।

9. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के विषय में जारी किये गये लाइसेंस 12 मास के लिये वैध होंगे तथा भविष्य में उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।

10. अप्रैल 74– मार्च, 75 अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक, वा० 1 के खंण्ड 1 कंडिका 113 (1) और 113 (2) में दी गई व्यवस्थायें जो लाइसेंसों के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य से संबंधित है, इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किये गये लाइसेंसों के लिये लागू नहीं होंगी।

अनुबन्ध 1

आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की सं० तथा भाग	विवरण	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंसों की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस नीति
1	2	3	4	5	6
(1) 21(ए) (2)/4.	सूखे फल	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई–1	12 मास	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान सूखे फलों का आयात किया था।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के 6 मास के आयात का 22 प्रतिशत, इसके अधीन कम से कम 6000 रु० का।
(2) 21(बी) /4.	खजूर	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान खजूरों का आयात किया था।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयातक का 100 प्रतिशत।
(3) 34-37 (डी)/5.	रेड आक्साइड	वही	12 मास	उन संस्थापित आयतकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970–71 की अवधि के दौरान रेड आक्साइड का आयात किया था।	समान मूल्य के आधार पर

1	2	3	4	5	6	
(4)	31(बी) /5.	हींग	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (के०ला०क्षे०) नई दिल्ली तथा सं०मु०नि०, आ०-नि०, बम्बई-1	12 मास	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान हींग का आयात किया था ।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के 6 मास के आयात का 100 प्रतिशत ।
					नोट : ईरान से हींग के आयातकों को इस बात का सुनिश्चय करने की जरूरत है कि उत्पाद खाद्य अपमिश्रण नियम निवारण के अन्तर्गत निर्धारित मानकों की पुष्टि करता है ।	
(5)	87-109 /4.	औषधीय बूटियां, अपरिष्कृत औषधियां जिनकी सूची अप्रैल, 1974-मार्च, 1975 की रेड बुक के परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध 1 तथा 2 में दी गई है।	वही	12 मास	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान अपरिष्कृत औषधियों का आयात किया था ।	समान मूल्य के आधार पर ।
(6)	7/5.	गोंद, रेजिन्स तथा लाख हर किस्म के जो अन्यथा रूप से उल्लिखित नहीं है । लोहबान, बहने वाला गोंद को छोड़ कर ।	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1970-71 की अवधि के दौरान इन मदों का आयात किया था ।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के 6 मास के आयात का 45 प्रतिशत ।

अनुबन्ध 2

आईटीसी अनुसूची की सं० तथा भाग	विवरण	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंस की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस देने की नीति ।
1	2	3	4	5	6
21(ए)(2)/4.	सूखे फल	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस (क्षेत्र) नई दिल्ली ।	12 मास	ईरान से सूखे फलों के तदर्थ आयात लाइसेंस इनको दिए जाएंगे :— (1) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात पांच वर्षों के दौरान अपने खाते पर किया था जिसका अन्त 30-6-57 को हुआ । (2) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने ताजे फलों का आयात 1951-52 से लेकर 1970-71 तक की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र में आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़ कर किन्तु पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो । (3) उन संस्थापित आयातकों को जिनका ताजे फलों का आयात 1945-46 से 1950-51 की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र से आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर,	समान मूल्य के आधार पर ।

1	2	3	4	5
				जिसमें पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो, बशर्ते कि 1960-1964 के दौरान पाकिस्तान से किए जाने वाले नदर्थ ताजे फलों के आयात लाइसेंसों को लाइसेंस प्राधिकारी ने मंजूर कर लिया था ।
				(4) उन संस्थापित आयातकों को जिनका सूखे फलों का आयात 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान उनके खाते में हो ।
				(5) ताजा फलों का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों को निम्नलिखित प्रस्तुत करने पर :—
				(क) सम्बद्ध सहकारी समितियों के पंजीयक से इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र कि सहकारी समितियां अभी भी विद्यमान हैं;
				(ख) संलग्न प्रपत्र में एक शपथ-पत्र, देखें अनुबन्ध-3.
				(ग) सनदी लेखापाल से इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र की वित्तीय वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 एवं 1971-72 के दौरान समिति का ताजे फलों का व्यवसाय 15,000 रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) से कम नहीं था ।

1	2	3	4	5	6
					यदि उपर्युक्त उप-कंडिका (ग) में यथा संदर्भित एक प्रमाणपत्र भूत में प्रस्तुत कर दिया गया था और यह ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तो उसे पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पूर्व के आवेदनपत्र जिसके साथ इस प्रकार का प्रमाणपत्र भेजा गया था, उसका संकेत कर देना चाहिए ।

अनुबन्ध 3

शपथ-पत्र का प्रारूप

---------- (सहकारी समिति का नाम)
के सचिव/अध्यक्ष श्री ----------सुपुत्र ----------
जिनका निवास स्थान ----------
है का शपथ-पत्र ।

मैं उपर्युक्त नामक अभिसाक्षी एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं---------- (सहकारी समिति का नाम) की ओर से इस शपथपत्र की पुष्टि करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हूं और यह घोषणा करता हूं :—

(1) कि ---------- (सहकारी समिति का नाम और पता) ताजे फलों का व्यापार करती रही है और अब भी कर रही है;

(2) कि यदि उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित घोषणा गलत या झूठी पाई जाती है तो इस घोषणा के आधार पर पूर्वोक्त सहकारी समिति को प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस सरकार द्वारा आरोपित किसी भी दंड या यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और आयात (नियंत्रण) आदेश,

1955 के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना रद्द कर दिया जाएगा ।

अभिसाक्षी ——————————

सत्यापन

मैं————————————————एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं और घोषणा करता हूं कि इस घोषणा पत्र में दिए गए विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी ——————————

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974